



**उत्तर प्रदेश शासन**  
**स्टाम्प ए रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2**  
**संख्या : 11/2026/1266/94-2-2026-700(27)/2026**  
**लखनऊ, दिनांक : 23 सितम्बर, 2026**

**अधिसूचना**  
**आदेश**

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 78-क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना के अधीन जिला वाराणसी में सिल्क पार्क की स्थापना हेतु नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथाउल्लिखित मौजा नैपुरा कला एवं मौजा रमना परगना-देहात अमानत, तहसील-सदर, जिला वाराणसी में अवस्थित उत्तर प्रदेश जल निगम की भूमि के सम्बंध में, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में यथाउल्लिखित क्षेत्रफल की सीमा तक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में निष्पादित की जाने वाली हस्तान्तरण की लिखत पर संदेय **रजिस्ट्रीकरण फीस** से छूट प्रदान करते हैं :-

**अनुसूची**

| क्र० सं० | चिह्नित भूमि से संबंधित मौजा/परगना/तहसील व जिला             | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                           | 3                                                       |
| 1.       | मौजा-रमना, परगना-देहात अमानत, तहसील-सदर, जिला-वाराणसी       | 20.250 हे०                                              |
| 2.       | मौजा-नैपुरा कला, परगना-देहात अमानत, तहसील-सदर, जिला-वाराणसी | 10.125 हे०                                              |
|          |                                                             | <b>कुल भूमि - 30.375 हे०</b><br><b>(अर्थात 75 एकड़)</b> |

आज्ञा से,

**अमित गुप्ता**  
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**संख्या : 11/2026/1266(1)/94-2-2026-700(27)/2026 दिनांक : 23 सितम्बर, 2026**

**प्रतिलिपि** - हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 23 सितम्बर, 2026 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**सुधीर कुमार**  
विशेष सचिव।

**संख्या : 11/2026/1266(2)/94-2-2026-700(27)/2026 दिनांक : 23 सितम्बर, 2026**

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ०प्र० शासन।
4. महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र०।
5. मण्डलायुक्त, वाराणसी उ०प्र०।
6. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम (ग्रामीण) उ०प्र०।
8. जिलाधिकारी, वाराणसी उ०प्र०।
9. उप महानिरीक्षक निबन्धन, वाराणसी मण्डल, वाराणसी उ०प्र०।
10. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), वाराणसी उ०प्र०।
11. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, वाराणसी उ०प्र०।
12. विधायी अनुभाग-1
13. भाषा अनुभाग-5
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**शिव कुमार**  
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**Uttar Pradesh Shasan**  
**Stamp Evam Registration Anubhag-2**

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 11/2026/1266/94-2-2026-700(27)/2026 dated : 23 September, 2026

**Notification**

**Order**

**No. 11/2026/1266/94-2-2026-700(27)/2026**

**Lucknow, Dated : 23 September, 2026**

In exercise of the powers under section 78-A of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) as amended in its application to the State of Uttar Pradesh, the Governor, with effect from the date of the publication of this notification in the Official Gazette, is pleased to remit the **registration fees** payable on the instrument of conveyance to be executed in favour of Hathkargha evam Vastrodyog Vibhag, Government of Uttar Pradesh relating to the land of Uttar Pradesh Jal Nigam, situated at Mauja-Naypura Kala and Mauja-Ramana, Pargana-Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District-Varanasi as mentioned in Column-2 of the Schedule below to the extent of the area as mentioned in Column-3 thereof, for establishing Silk Park under Sant Kabir Textile and Apparel Park Scheme.

**SCHEDULE**

| S. No. | Mauja/Pargana/Tehsil and District related to identified land              | Area (in hectares)                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                         | 3                                                   |
| 1.     | Mauja-Ramana, Pargana-Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District-Varanasi       | 20.250 Hec.                                         |
| 2.     | Mauja-Naypura Kala, Pargana-Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District-Varanasi | 10.125 Hec.                                         |
|        |                                                                           | <b>Total land - 30.375 Hec.<br/>(i.e. 75 acres)</b> |

By Order,

**Amit Gupta**  
Pramukh Sachiv.

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।